न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 178/2022 प्रार्थनापत्र

श्री प्यारानाथ पुत्र श्री उगमनाथ जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी— चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. शंकर नाथ पुत्र नन्दा नाथ जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी— चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा जरिये शाखा प्रबंधक महोदय चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत इन्द्राज दुरूस्थी द्वारा सेरिगेशन के दौरान गलत दर्ज किये गये हक हिस्से को सही दर्ज करवाने हेतु

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश तंवर —अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक— 17/1/2023

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे जमाबंदी संवत 2073 से 2076 मे खाता संख्या 5[illegible] आराजी नम्बर 437, 438, 439, 440,441, 480 कुल किता 06 [illegible] 7325 [illegible] संख्या 579 मे आराजी नम्बर 3643/3607 रकबा 0.2909 हैक्टयर [illegible] खाता संख्या 578

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आराजी नम्बर 554, 555, 556, 557, 558, 559,560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568,571 कुल रकबा 1.7325 हैक्टयर है, प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 का पारीवारिक सजरा चरण संख्या 02 मे वर्णित है, उक्त सजरा अनुसार वर्तमान सेरिगेशन से पूर्व जमाबंदी संवत 2069 से 2072 मे प्रार्थी शंकर नाथ व उसकी माता सोहनी व प्रार्थी के भाई नन्दानाथ के वारीसान का राजस्व रेकार्ड मे विरासत अनुसार बराबर बराबर हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज था, परन्तु उस समय के राजस्व रेकार्ड मे प्रत्येक खातेदार के नाम के आगे उनका हक हिस्सा नही लिखा हुआ था, जिसके कारण वर्तमान सेरिगेशन के दौरान प्रार्थी के साथ ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज प्रार्थी के भाई स्व0 नन्दा के वारीसान अर्थात प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया, जिससे प्रार्थी व उसकी माता श्रीमती सोहनी का हक हिस्सा कम हो गया इस गलत हिस्से के अनुसार विपक्षी संख्या 01 के पक्ष मे उसकी बहिनो तथा माता ने हक त्याग कर दिया। जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 का हक हिस्सा ज्यादा दर्ज हो गया है। सेरिगेशन के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारीयो द्वारा बिना जांच पडताल किये ही राजस्व रेकार्ड मे जो गलत हक हिस्सा दर्ज किया गया है, जो दुरूस्त योग्य है। अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 580 मे दर्ज कुल किता 06 कुल रकबा 1.7325 हैक्टयर तथा खाता संख्या 579 मे दर्ज आराजी नम्बर 3643/3607 रकबा 0.2909 हेक्टयर मे हक हिस्सा दुरूस्त कर विपक्षी संख्या 01 शंकर लाल के दर्ज 5/7 हक हिस्से को कम करते हुए 1/3, व प्रार्थी का 1/3 व प्रार्थी की माता सोहनी देवी का 1/3 हक हिस्सा व खाता संख्या 578 मे दर्ज कुल किता 15 रकबा 3.2879 हैक्टयर मे विपक्षी संख्या 01 शंकर लाल के दर्ज 1/8 हक हिस्से को कम करते हुए 1/12 दर्ज करते हुए प्रार्थी का हिस्सा 1/12 व प्रार्थी की माता सोहनी देवी का हिस्सा 1/12 दर्ज कराया जाने का निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कि[illegible] विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा [illegible] शामिल पत्रावली की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करे[illegible]

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए हक हिस्सा दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया, पारीवारिक सजरे अनुसार प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता सोहनी देवी एवं विपक्षी संख्या 01 शंकर लाल जो कि प्रार्थी के मृतक भाई नन्दा नाथ का पुत्र है तथा नन्दा नाथ, प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता सोहनी देवी का समान हक अधिकार है, सेटेशन जमाबंदी मे पूर्व मे हक हिस्सा दर्ज नही होने से सेहवन से हक हिस्सा गलत दर्ज हुआ है, हक हिस्सा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: **आदेश** ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 580 मे दर्ज कुल किता 06 कुल एकबा 1.7325 हैक्टयर तथा खाता संख्या 579 मे दर्ज आराजी नम्बर 3643/3607 एकबा 0.2909 हेक्टयर मे हक हिस्सा दुरूस्त कर विपक्षी संख्या 01 शंकर लाल के दर्ज 5/7 हक हिस्से को कम करते हुए 1/3, व प्रार्थी का 1/3 व प्रार्थी की माता सोहनी देवी का 1/3 हक हिस्सा व खाता संख्या 578 मे दर्ज कुल किता 15 एकबा 3.2879 हैक्टयर मे विपक्षी संख्या 01 शंकर लाल के दर्ज 1/8 हक हिस्से को कम करते हुए 1/12 दर्ज करते हुए प्रार्थी का हिस्सा 1/12 व प्रार्थी की माता सोहनी देवी का हिस्सा 1/12 हक हिस्सा दर्ज किया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:04 IST
Reason: SelfAttested